न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :- 35/2025
दायर दिनांक :—16/09/2025
निर्णय दिनांक :—26/11/2025

उनवान

1 प्रकाशचंद्र पिता बोतलाल जाट निवासी भानियाखेडा तहसील भूपालसागर **वादी**

बनाम

1 भंवरलाल पिता चम्पालाल निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
2 तहसीलदार, भूपालसागर
3 उप पंजीयक भूपालसागर
4 पटवारी आकोला

प्रतिवादीगण

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला–चित्तौडगढ़

राजस्व वाद अंतर्गत धारा—212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री लक्ष्मीशंकर जाट, वादी अधिवक्ता

: निर्णय :

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र बाबत् बंटवाडा आराजियात अंर्तगत धारा—212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पेश किया । जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है:—

यह कि ग्राम आकोला तहसील भूपालसागर मे में हाल आराजी न0 3845 रकबा 0.23 है0 चाही 2 स्थित होकर रेवेन्यू रेकार्ड में प्रार्थी के 198/2004 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 1 के 1806/2004 से रेवेन्यू रेकार्ड में संयुक्त खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजियात रेवेन्यू रेकार्ड में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या एक के संयुक्त खातेदारी में होकर संयुक्त उपभोग में है और अभी तक उक्त आराजी का कानुनी रूप से कोई बटवाडा नही हुआ है। यह कि अप्रार्थी संख्या 1 आए दिन वादी के कब्जेशुदा रकबा पर आकर झगडा करता है तथा नाजायज कब्जा करने की कोशिश करता है। आराजी रेवेन्यु रेकार्ड में संयुक्त खातेदारी में दर्ज है तथा वह बिना बंटवाडा कराए अपनी मर्जी मुताबिक जगह पर कब्जा करके अपना कब्जा बताते हुए जमीन को किसी अन्य को विक्रय करने पर आमादा होने की बार बार धमकी देता है तथा प्रार्थी का कब्जा हटाने की भी धमकी देता है जबकि कानुनन बिना बंटवाडा कराए उक्त आराजी विक्रय करने का अप्रार्थी को कानुनी अधिकार प्राप्त नही है। अप्रार्थी संख्या 1 के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराया जाना आवश्यक है कि वो बिना कानुनी बटवाडा कराए किसी अन्य को उक्त आराजियात का हिस्सा रहन बह वक्षीस वसीयत नही करे तथा प्रार्थी के कब्जे में किसी प्रकार के उपयोग में बाधा पैदा न करे तथा अप्रार्थी संख्या 2 3 4 के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी फरमाया जाना आवश्यक है कि वो उक्त आराजी का किसी भी रकबा का कोई भी दस्तावेज पंजीयन नही करे, नामांतरण नही खोले तथा जब तक कानुनी रूप से बंटवाडा नही होता है तब तक उक्त आराजियात को किसी भी प्रकार से परिवर्तित नही करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 की और से वकील श्री लक्ष्मीशंकर जाट ने अधिकार पेश किया एवं जवाब प्रस्तुत नही कर सिधे ही बहस हेतु निवेदन किया। अप्रार्थीगण संख्या 2,3,4 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित।

वकील उभयपक्ष एवं उपस्थित पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया एवं तथ्यो पर गहनतापूर्वक विचार किया।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थी सम्पूर्ण तथ्यों, बहस के आधार पर एवं प्रार्थीगण के प्रार्थना के तथ्य अनुसार प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन साबित नही कर पाए है तथा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी एवं न्यायिक दृष्टांत से प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में नही पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.05 16:22:19 IST
Reason: SelfAttested

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर